बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12–..................– राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/ कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की माँग और उसके अनुरूप नई तकनीक, अद्यतन तकनीकी के प्लांट/ मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने डिजाइन केन्द्र, जाँच केन्द्र, Effluent Treatment Plant, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिससे ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुती को आकर्षक बना सकें, फलतः ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, जिससे इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके, के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4773 दिनांक 28.10.2013 द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना की स्वीकृति, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु निम्नबत राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता हैः–

(i) उद्योग निदेशक–	अध्यक्ष
(ii) प्रभारी पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के–	सदस्य सचिव
(iii) प्रभारी पदाधिकारी (योजना) उद्योग विभाग–	सदस्य
(iv) निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान	सदस्य
(v) सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) भारत सरकार–	सदस्य
(vi) आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित पदाधिकारी–	सदस्य

2. उक्त समिति महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्राप्त जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में कलस्टर के विकास का प्रस्ताव की समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

3. उक्त समिति द्वारा योजना क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का राज्यस्तरीय समाधान किया जायेगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–10 पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–.......10....... पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) भारत सरकार/ सभी जिला पदाधिकारी/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–.......10....... पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना